



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

No. 1960]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28-07-2016

का.आ. 2631(अ)-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफईई 1333 एफडब्ल्यूएल-2008 तारीख 24.1.2011 द्वारा 574.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षिती के रूप में घोषित किया था;

और, बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर व्याघ्र आरक्षिती कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिला में (कोलेगल, येलनदूर और चामराजनगर तालुका) अवस्थित है और उत्तरी अक्षांश 11° 43' तथा 12° 08' के मध्य और पूर्व देशांतर 77° 00' तथा 77° 16' के मध्य अवस्थित है;

और, व्याघ्र आरक्षिती में बाघ, हाथी, गौर, तेंदुआ, सांभर, चित्तीदार हिरण, मुंजक, चौसिंगा मृग, रीछ, जंगली कुत्ता, पिसूरी आदि का वास है;

और, व्याघ्र आरक्षिती नीलगिरि जीव आरक्षिती का एक भाग है और भारत सरकार के हाथी परियोजना द्वारा मैसूर हाथी आरक्षिती के रूप में घोषित है;

और, संपूर्ण आरक्षिती क्षेत्र के साथ सत्यमंगला क्षेत्र के साथ वन का एक विशिष्ट भाग के रूप में प्रखंड, मदुमलाई संरक्षित क्षेत्र, कोलेगल प्रखंड, कावेरी वन्यजीव प्रखंड संलग्न है जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है;

और, व्याघ्र आरक्षिती में सदाबहार वनों और झाड़ी घास का मैदान और अधिक ऊँचाई वाले घास के मैदानों के शुष्क झाड़ी वनों के वनस्पति श्रेणी की किस्में पाई जाती है;

और, व्याघ्र आरक्षिती से स्तनधारियों की 28 प्रजातियां, पक्षियों की 274 प्रजातियां, उभयचरों की 14 प्रजातियां, सरीसृप की 23 प्रजातियां, वनस्पतियों की 1350 प्रजातियां, तितलियों की 145 प्रजातियां, चिकित्सीय पादपों की 886 से अधिक प्रजातियां और आर्किड की लगभग 25 प्रजातियों की रिपोर्ट की गई है;

और, वनस्पति के अंतर्गत अनोजेसिस लैटिफोलिया, डलबेरजिया पनिकुलाटा, बॉसवेलिया सेरटा, कॉम्मीफोरा कैडाटा, अकासिया चुन्द्रा, डायोस्पायरोस मेलानोज़ाइलोन, एलाएकारपस टुबेरकुलाटस, सिज़ियम मालाबारिकम, स्चेफ्लेरा कैपिटाटा, कुरुरमा नैलघेरेंसिस, आदि हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र गुंडल और सुवर्णावती नदियों के लिए महत्वपूर्ण अवगाह क्षेत्र है जो कि कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और गोंडाहल्दी, कृष्णायनाकाट्टे, के बाँध और बेलट्टा जलाशयों के लिए महत्वपूर्ण अवाह क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है;

और, व्याघ्र आरक्षिती सोलिगा वन्य निवासी समुदायों के गृह आवास के रूप में भी है जो अभयारण्य में छोटे पुरवों में निवास करते हैं;

और, बिलिगिरिंगास्वामी व्याघ्र आरक्षिती के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में बिलिगिरिंगास्वामी व्याघ्र आरक्षिती की सीमा से 6 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को बिलिगिरिंगास्वामी व्याघ्र आरक्षिती पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन तमिलनाडु के साथ अंतर्राज्यीय सीमा के भाग के सिवाय बिलिगिरिंगास्वामी व्याघ्र आरक्षिती पारिस्थितिक संवेदी जोन की

सीमा से 6 किलोमीटर तक प्रवर्तनीय की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत 49 ग्राम है और यह 467.92 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध उसके विस्तार और दूरस्थ बिन्दुओं पर अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध II** के रूप में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची और अन्य क्षेत्र **उपाबंध-III** के रूप में दिए गए हैं।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) व्याघ्र संरक्षण योजना भी आंचलिक महायोजना में तैयारी के दौरान ध्यान में रखा जाएगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(5) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग,

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 12, 17, 23, 32 और 35 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत-आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन-(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** -परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और

		व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक खनिज जल संयंत्र, वातित पेय, बोटल भराव संयंत्र आदि के लिए भूमिगत जलों को एकत्र करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। लागू विधियों के अधीन पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
(10)	पवन चक्कियों का स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
(11)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(12)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

		परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:</p> <p>परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी।</p> <p>(ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे।</p> <p>(ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।</p>
(14)	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।</p>
(15)	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	<p>(क) भूमिगत तारों के बिछाने का संवर्धन किया जाएगा।</p> <p>(ख) विद्यमान घरेलू लाइने- यदि वह भूमि से ऊपर हे तो उनकी ऊंचाई < 20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट और > 30 डिग्री ढाल के लिए यह ऊंचाई भूमि से 30 फुट होनी चाहिए।</p> <p>(ग) 11 केवी तक के घरेलू प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रिक लाइनों का कोई भावी बिछाया जाना भूमिगत होगा।</p> <p>(घ) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए 2 टावरों के बीच "सैग" बिन्दू भूमि से कम से कम 15 मीटर होना चाहिए।</p>
(16)	होटलों/सैरगाह और वाणिज्यिक खेती और कंपनियों/कार्पोरेट हाउसेस/फर्मों द्वारा उद्यान कृषि के परिसरों में विद्युत बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।

(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी वनस्पतियों और जीवों प्रजातियों जैसे केटी मत्स्य, एमू, यार्कशायर सूअर, जापानी बटेर, शतुरमुर्ग, शशक और अन्य प्रजातियों के उद्योग ।	विदेशी जीव प्रजातियों के उद्योग अनुज्ञात नहीं है।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	दुकानदरों द्वारा पालिथिन के बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	पशु और कुक्कुट फार्मों का बृहत् स्तर पर स्थापन ।	स्थानीय कृषकों द्वारा एक एकड़ के सामंजस्य के किसी लघु स्तर पर प्रारंभ करने की शिकायत लागू विधियों के अनुसार (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) प्रतिषिद्ध होगा ।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
(31)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(33)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर और अन्य कुटीर उद्योग आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(36)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।
(37)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी **तीन वर्ष की अवधि के लिए** एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर	अध्यक्ष;
ख)	विधान सभा का माननीय सदस्य, चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य;
ग)	विधान सभा का सदस्य, कोलेगाला निर्वाचन क्षेत्र (संबंधित अनुमोदन प्राप्त करने का कर्नाटक राज्य सरकार का विषय के साथ-साथ जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष से अनुमति भी है, यदि अपेक्षित हो ।) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि,	सदस्य;
घ)		सदस्य;
ङ.)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
च)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
छ)	क्षेत्रीय अधीकारी, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर	सदस्य;
ज)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
झ)		सदस्य;
	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	
ञ)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, जिला, चामराजनगर	सदस्य;
ट)	प्रशासनिक प्रमुख, वन्यजीव प्रखंड चामराजनगर	सदस्य- सचिव ।

6. निर्देश निबंधन :

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/19/2016-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

सीमा विवरण

संबंधित वन की सरकार अधिसूचना में वन क्षेत्रों की सीमा विवरण का वर्णन है।

उत्तर: सीमा रेखा कोलेगल तालुक की थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के मदुमलागुड्डा आरक्षित वन के उत्तर पूर्वी बिंदु के साथ जी.पी.एस निर्देशांक उ 12° 7'28", पू 77° 6'5" से आरंभ होकर और इसके बाद मदुमलागुड्डा और इसके बाद मदुमलागुड्डा राजस्व वन के उत्तरी भाग के साथ होते हुए यह थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के मदुमलागुड्डा राजस्व वन के उत्तरी छोर पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12°7'40", पू 77° 7' 54" पहुँचती है। इसके बाद रेखा थिम्माराजापुरा ग्राम सीमा के साथ जाती है फिर यह थिम्माराजापुरा और होन्दराबलु ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा होन्दराबलु ग्राम

की पश्चिमी सीमा के साथ पुनः जाती है फिर यह कोलेगल तालुक के होन्दराबलु ग्राम के उत्तर पश्चिमी छोर पहुँचती है।

इसके अतिरिक्त, रेखा होन्दराबलु ग्राम के साथ कुछ दूरी पर पूर्व की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 12° 9' 1", पू 77° 8' 10" के साथ होन्दराबलु और मधुवनाहल्ली ग्रामों के द्वि-जंक्शन पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के मधुवनाहल्ली ग्राम के साथ उत्तरी दिशा में पुनः जाती है फिर यह डोड्डा रंगनाचनाकेरे चैनल के बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा मधुवनाहल्ली ग्राम थाना से होते हुए डोड्डा रंगनाचनाकेरे चैनल के साथ पूर्व की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त इस चैनल के साथ पूर्व की ओर जाकर यह हरवानपुरा ग्राम सीमा के कोनगाराहल्ली ग्राम की सड़क के बिंदु पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा हरवानपुरा ग्राम के साथ नीचे की ओर जाकर यह निर्देशांक उ 12° 8' 52", पू 77° 11' 18" के साथ कोलेगल तालुक के हरवानपुरा और लक्ष्मीपुरम ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा लक्ष्मीपुरम ग्राम की बाहरी सीमा के साथ पुनः और नीचे की ओर जाती है यह कोलेगल तालुक के कोलेगल-हसनुर सड़क (एस.एच-38) के लक्ष्मीपुरम और होना बर्बेट्टा ग्राम के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।

पूर्व:- कोलेगल- हसानुर सड़क (एस. एच-38) बिंदु के ऊपर से रेखा नीचे की ओर जाती है और होना बर्बेट्टा ग्राम से होते हुए कोलेगल- हसानुर सड़क के साथ जाती है फिर यह कोलेगल- हसानुर सड़क के निर्देशांक उ 12° 4' 56", पू 77° 12' 59" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के होना बर्बेट्टा और चैनलीलिंगनाहल्ली ग्रामों से होते हुए उसी सड़क के साथ दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है फिर यह उसी सड़क के निर्देशांक उ 12° 4' 50", पू 77° 14' 7" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के चिक्का मालापुरा और सिरागोदु ग्रामों से होते हुए कोलेगल- हसानुर सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है फिर यह उसी सड़क के निर्देशांक उ 12° 2' 3", पू 77° 14' 56" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा कोलेगल तालुक के लोक्कानाहल्ली ग्राम के उत्तरी भाग के साथ पूर्व की ओर जाती है फिर यह लोक्कानाहल्ली और सिरागोदु की सामान्य ग्राम सीमा के निर्देशांक उ 12° 2' 3", पू 77° 16' 17" के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा लोक्कानाहल्ली और सिरागोदु ग्रामों की सामान्य ग्राम सीमा के साथ जाती है फिर यह हनुर आरक्षित वन (मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित) के बिंदु को छूती है। इसके अतिरिक्त रेखा लोक्कानाहल्ली ग्राम के पूर्वी भाग और मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 59' 39", पू 77° 16' 39" के साथ लोक्कानाहल्ली ग्राम के दक्षिण पूर्वी छोर पहुँचती है। इसके बाद रेखा लोक्कानाहल्ली ग्राम की दक्षिण पश्चिमी छोर तक लोक्कानाहल्ली ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी की ओर जाकर और इसके अतिरिक्त लोक्कानाहल्ली और होना बर्बेट्टा ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ उत्तरी की ओर जाती है, फिर यह लोक्कानाहल्ली और होना बर्बेट्टा ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा होना बर्बेट्टा ग्राम सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाकर और इसके अतिरिक्त मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य (हनुर आरक्षित वन) के साथ ग्राम सीमा के पूर्वी भाग के दक्षिण की ओर नीचे की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 59' 38", पू 77° 15' 17" के बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा हनुर आरक्षित वन सीमा के साथ और होना बर्बेट्टा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 57' 11", पू 77° 15' 50" के साथ होना बर्बेट्टा ग्राम, हनुर आरक्षित वन, इदयाराहल्ली आरक्षित वन के पूर्वी छोर के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।

इस बिंदु से रेखा इसके अतिरिक्त होना बर्बेट्टा ग्राम के पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाकर, जो इदयाराहल्ली आरक्षित वन सेवा (मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित) है फिर यह कोलेगल-हसानुर सड़क के बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा कोलेगल-हसानुर सड़क के साथ जाती है, जो बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य और मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा है फिर कोलेगल तालुक के अरबीगेरे ग्राम के उत्तर पश्चिमी भाग पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के

संबंधित ग्रामों के निर्देशांक उ 11° 55' 17", पू 77° 15' 42" और उ 11° 55' 44", पू 77° 17' 9" से होते हुए कोलेगल तालुक के अरबीगेरे और परसेगोवदानापलया ग्रामों की उत्तरी भाग के साथ होते हुए जाती है। इसके अतिरिक्त, रेखा मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा के निर्देशांकों उ 11° 54' 53", पू 77° 17' 55", उ 11° 52' 35", पू 77° 17' 44", उ 11° 50' 39", पू 77° 16' 51" और उ 11° 48' 43", पू 75° 15' 15" से होते हुए कोलेगल तालुक के परसेगोवदानापलया, हथुर और बायलुर ग्रामों के पूर्वी भाग के साथ नीचे की ओर जाती है।

दक्षिण:- निर्देशांक उ 11° 48' 43", पू 75° 15' 15" के साथ बिंदु के ऊपर से सीमा तमिलनाडु और कर्नाटक की अंतर राज्य सीमा के साथ पश्चिमी की ओर जाती है, चामराजनगर तालुक के मुकलपलया और होन्नेगौदालोहुन्दी ग्रामों, कोलेगल तालुक, पुंजुर ग्राम के अंतर्गत और निर्देशांक उ 11° 46' 30", पू 77° 1' 47" और उ 11° 46' 20", पू 77° 3' 27" से होते हुए जाती है फिर यह चामराजनगर जिला के हारादानहल्ली जिला वन (ग्राम) और बोम्मानाहल्ली के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अंतर-राज्य सीमा के संपूर्ण बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य का दक्षिणी भाग है। इसलिए तमिलनाडु वन विभाग प्राधिकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के पर्यावरण और वन मंत्रालय, दिल्ली दिशा/दिशा निर्देशों वाइड पत्र सं. 1-9/2007 डब्ल्यू एल-(पी टी) दिनांक : 16-12-2013 के लिए निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी संलग्नों के अंतर्गत आरक्षित वनों अर्थात् चमराजनगर राज्य वन, बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर विस्तार वन और धारा 4 अधिसूचित क्षेत्रों बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर

वन्यजीव अभयारण्य में पारिस्थितिक संवेदी जोन के अभयारण्य/आरक्षित की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के रूप में शामिल किया गया है।

पश्चिम:- द्वि-जंक्शन बिंदु के ऊपर से रेखा बोम्मानाहल्ली ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त बोम्मानाहल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ पुनः उत्तरी की ओर जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 48' 57", पू 76° 58' 49" के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा बोम्मानाहल्ली ग्राम के पूर्वी और उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह बोम्मानाहल्ली ग्राम के उत्तरी छोर और बोम्मानाहल्ली और हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) सीमा के पश्चिमी के भाग के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 52' 7", पू 77° 0' 10" के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा हदानाहल्ली जिला वन (ग्राम) सीमा के उत्तरी भाग के साथ पुनः जाती है फिर यह हदानाहल्ली और कुम्बेश्वरा कॉलोनी ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इस बिंदु से सीमा चामराजनगर तालुक के कुम्बेश्वरा कॉलोनी की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 54' 15", पू 77° 1' 31" बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कुम्बेश्वरा कॉलोनी और मल्लेदेवानाहल्ली ग्रामों के उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह चमराजनगर तालुका के मल्लेदेवानाहल्ली और होन्दराबलु ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा होन्दराबलु ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है फिर यह जी.पी.एस. निर्देशांक उ 11° 55' 29", पू 77° 4' 51" के होन्दराबलु और ज्योतिगोवदानापुरा के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा ज्योतिगोवदानापुरा ग्राम से होते हुए उद्यान सीमा से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है फिर यह जी.पी.एस. निर्देशांक उ 11° 56' 23", पू 77° 5' 24" के ज्योतिगोवदानापुरा और मेलमाला के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा मेलमाला ग्राम के दक्षिणी भाग के साथ पुनः जाती है, इसके अतिरिक्त चामराजनगर तालुक के मेलमाला ग्राम की उत्तर-पश्चिमी सीमा से होते हुए जाती है फिर यह निर्देशांक उ 11° 57' 56", पू 77° 5' 22" बिंदु के साथ पहुँचती है। इस बिंदु से, रेखा


मेलमाला और थिमेगोवदानापलया ग्रामों उत्तरी भाग और पूर्वी भाग के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के येरागम्बली और चमराजनगर तालुक के थिमेगोवदानापलया के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।

इसके बाद रेखा वन सीमा से 1 किलोमीटर और उत्तर की ओर जाती है फिर यह गुमबली और येरागम्बली के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद पुनः रेखा वन सीमा से 1 किलोमीटर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के गुमबली और येदागेरे के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है।

इसके बाद रेखा गुमबली ग्राम की उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है फिर यह येलनदूर तालुक के गुमबली और वदागेरे ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा वदागेरे ग्राम सीमा के पश्चिमी भाग के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक उ $12^{\circ} 3' 1''$, पू $77^{\circ} 4' 17''$ बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त रेखा वदागेरे ग्राम के उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह वदागेरे और गोवदाहल्ली ग्रामों के द्वि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा गोवदाहल्ली और मलारपलया ग्रामों के साथ उत्तर दिशा की ओर पुनः जाती है फिर यह निर्देशांक उ $12^{\circ} 3' 46''$ पू $77^{\circ} 4' 50''$ बिंदु के साथ पहुँचती है। इस बिंदु से सीमा रेखा येलनदूर तालुक के मलारपलया, देवराहल्ली और शिवाकाहल्ली ग्रामों की बाहरी पूर्वी सीमा के साथ जाती है, फिर यह निर्देशांक उ $12^{\circ} 5' 33''$, पू $77^{\circ} 4' 33''$ शिवाकाहल्ली ग्राम के पूर्वी मुख्य छोर पहुँचती है। इसके बाद रेखा शिवाकाहल्ली ग्रामों के पूर्वी और उत्तरी भाग के साथ जाती है फिर यह कोलेगल तालुक के सुरापुरा और येरेपलया ग्राम और येलनदूर तालुक के शिवाकाहल्ली के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा कोलेगल तालुक के सुरपुरा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है और निर्देशांक उ $12^{\circ} 5' 30''$, पू $77^{\circ} 6' 0''$ से होते हुए कोलेगल तालुक के थिम्माराजापुरा के मदुमलागुड्डा राजस्व वन के दक्षिण पश्चिमी छोर पहुँचती है। इसके बाद आखिरकार इस बिंदु से, रेखा उत्तर पूर्वी बिंदु निर्देशांक उ $12^{\circ} 7' 28''$, पू $77^{\circ} 6' 5''$ के साथ थिम्माराजापुरा ग्राम के मदुमलागुड्डा राजस्व वन की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है (आरंभिक बिंदु)।

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर पारिस्थितिक संवेदी जोन के मुख्य अवस्थान

मानचित्र आई.डी	अक्षांश	देशांतर	अक्षांश	देशांतर
1	11.76857	77.05747	11° 46'7"	77° 3' 27"
2	11.77487	77.02977	11° 46'30"	77° 1' 47"
3	11.81597	76.98017	11° 48'57"	76° 58' 49"
4	11.86867	77.00267	11° 52'7"	77° 0' 10"
5	11.90407	77.02517	11° 54'15"	77° 1' 31"
6	11.90587	77.05557	11° 54'21"	77° 3' 20"
7	11.92717	77.04437	11° 55'38"	77° 2' 40"
8	11.93969	77.09003	11° 55'29"	77° 4' 51"
9	11.96205	77.07671	11° 56'23"	77° 5' 24"
10	11.96205	77.07671	11° 57'43"	77° 4' 36"
11	12.00146	77.08445	12° 0'5"	77° 5' 4"
12	12.02777	77.07998	12° 1'40"	77° 4' 48"
13	12.06267	77.08047	12° 3'46"	77° 4' 50"
14	12.09257	77.07577	12° 5'33"	77° 4' 33"
15	12.09157	77.10007	12° 5'30"	77° 6' 0"
16	12.12437	77.10147	12° 7'28"	77° 6' 5"
17	12.12767	77.13167	12° 7'40"	77° 7' 54"
18	12.15017	77.13617	12° 9'1"	77° 8' 10"
19	12.14787	77.18824	12° 8'52"	77° 11' 18"
20	12.1157	77.21627	12° 6'56"	77° 12' 59"
21	12.07797	77.23876	12° 4'41"	77° 14' 20"
22	12.03407	77.24887	12° 2'3"	77° 14' 56"
23	12.02817	77.27137	12° 1'41"	77° 16' 17"
24	11.99407	77.27747	11° 59'39"	77° 16' 39"
25	11.99387	77.25467	11° 59'38"	77° 15' 17"
26	11.95317	77.26377	11° 57'11"	77° 15'50"
27	11.92127	77.26167	11° 55'17"	77° 15' 42"
28	11.92897	77.28587	11° 55' 44"	77° 17' 9"
29	11.91477	77.29857	11° 54'53"	77° 17' 55"
30	11.87647	77.29557	11° 52'35"	77° 17' 44"
31	11.84427	77.28087	11° 50'39"	77° 16' 51"
32	11.81197	77.25417	11° 48'43"	77° 15' 15"

बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थान

मानचित्र आई.डी	अक्षांश	देशांतर	अक्षांश	देशांतर
1	11.71979	77.11841	11° 43'11"	77° 7' 6"
2	11.75665	77.06972	11° 45'24"	77° 4' 11"
3	11.7799	77.08934	11° 46'48"	77° 5' 22"
4	11.78596	77.03744	11°47'9"	77° 2' 15"
5	11.81226	77.00607	11° 48'44"	77° 0' 22"
6	11.86419	77.05044	11° 51'51"	77° 3' 2"
7	11.89447	77.04447	11° 53'40"	77° 2' 40"
8	11.91905	77.07271	11° 55'9"	77° 4' 22"
9	11.93993	77.11083	11° 56'24"	77° 6' 39"
10	11.96953	77.1128	11° 58'10"	77° 6' 44"
11	12.01726	77.08233	12° 1' 56"	77° 4' 56"
12	12.04751	77.13186	12° 2'51"	77° 7' 55"
13	12.06268	77.15816	12° 3'45"	77° 9' 29"
14	12.08243	77.13457	12° 4'57"	77° 8' 4"
15	12.09673	77.15697	12° 5'48"	77° 9' 25"
16	12.11037	77.14354	12° 6'37"	77° 8' 37"
17	12.1448	77.17162	12° 8'41"	77° 10' 18"
18	12.12354	77.18723	12° 7'25"	77° 11' 14"
19	12.04411	77.20016	12° 2'39"	77° 12' 1"
20	12.09646	77.20509	12° 5'47"	77° 12' 18"
21	12.07911	77.2295	12° 4'45"	77° 13' 46"
22	12.02995	77.22421	12° 1'48"	77° 13' 27"
23	12.02086	77.24211	12° 1'51"	77° 14' 32"
24	11.96432	77.25135	11° 57'52"	77° 15' 5"
25	11.90511	77.26179	11° 54'18"	77° 15' 42"
26	11.90109	77.24007	11° 54'4"	77° 14'24"
27	11.8753	77.23028	11° 52'31"	77° 13' 49"
28	11.82635	77.21855	11° 49' 35"	77° 13' 7"
29	11.85869	77.24501	11° 51'31"	77° 14' 42"
30	11.8336	77.25185	11° 50'1"	77° 15' 7"
31	11.79451	77.23034	11° 47'40"	77° 13' 49"
32	11.78476	77.18337	11° 47'5"	77° 11' 0"
33	11.77243	77.1129	11°46' 21	77° 6' 46"

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क. बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के चामराजनगर जिला के चामराजनगर, येलनदूर और कोलेगल तालुकों के अंतर्गत 48 ग्रामों और वन क्षेत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र 46792.84 हेक्टेयर है। पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्र 41639.79 हेक्टेयर है और पारिस्थितिक संवेदी जोन में अधिसूचित वनों का क्षेत्र 5153.05 हेक्टेयर है।

क्र. सं.	ग्राम के नाम	तालुक	ग्रामों का विस्तार हेक्टेयर में
1	बिलिगिरिंगावेत्ता	येलनदूर	9217
2	इम्मेहट्टी	कोलेगल	57.11
3	होन्नामेट्टी	कोलेगल	569.24
4	बेदागुली	चामराजनगर	215
5	चिकमुदाहल्ली	कोलेगल	172.2
6	डोड्डामुदाहल्ली	कोलेगल	529.69
7	पुनजुर	कोलेगल	439
8	मुकनापलया	चामराजनगर	48.0
9	होन्नेगौदानाहुन्दी	चामराजनगर	148
10	बोम्मानाहल्ली	चामराजनगर	329
11	हरदानाहल्ली जिला वन II	चामराजनगर	1539
12	अट्टागुलिपुरा	चामराजनगर	279
13	होन्गालावदी	चामराजनगर	36
14	कुम्बेश्वरा कॉलोनी	चामराजनगर	207
15	अय्यानपुरा	चामराजनगर	360
16	मल्लेदेवानाहल्ली	चामराजनगर	318
17	हरदानहल्ली जिला वन I	चामराजनगर	261
18	होन्दराबलु	चामराजनगर	1439
19	ज्योतिगोवदानापुरा	चामराजनगर	1423
20	मेलमाला	चामराजनगर	1089
21	थिम्मेगोवदानापलया	चामराजनगर	540
22	येरागम्बल्ली	येलनदूर	1420
23	गुमबल्ली	येलनदूर	361
24	वदैरे	येलनदूर	348
25	गोवदाहल्ली	येलनदूर	1189

26	अल्कैरैगराहारा	येलनदूर	434
27	जोदीमेल्लाहल्ली	येलनदूर	248
28	मालारपलया	येलनदूर	294
29	के. देवराहल्ली	येलनदूर	669
30	शिवाकाहल्ली	येलनदूर	302
31	अरेपलया	कोलेगल	519
32	सुरपुरा	कोलेगल	958
33	जक्काल्ली	कोलेगल	700
34	थिम्माराजापुरा	कोलेगल	410
35	होन्दराबलु	कोलेगल	721
36	मधुवनाहल्ली	कोलेगल	669
37	हरवानपुरा	कोलेगल	321
38	लक्ष्मीपुरा	कोलेगल	533
39	होनाबर्बेट्टा	कोलेगल	3723
40	चेन्नालुंगानाहल्ली	कोलेगल	467
41	चिक्का मालापुरा	कोलेगल	435
42	सिरागोदु	कोलेगल	320
43	लोककानाहल्ली	कोलेगल	971
44	मवाथुर	कोलेगल	963.548
45	गुंदीमाला	कोलेगल	404
46	अराबिगेरे	कोलेगल	2110
47	पैरासेगोवदानापलया	कोलेगल	1024
48	हुथुर	कोलेगल	914
49	बायलुर	कोलेगल	997

उपाबंध III पुनः

ख. पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले संलग्न ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	पारिस्थितिक संवेदी जोन की चौड़ाई	तालुक	जिला	अक्षांश	देशांतर
क	बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर	संपूर्ण ग्राम सीमा	येलनदूर	चामराजनगर	11.99715	77.15801
ख	इम्मेहट्टी	संपूर्ण ग्राम सीमा	कोलेगल	चामराजनगर	11.90095	77.19401
ग	होन्नामेट्टी	संपूर्ण ग्राम सीमा	कोलेगल	चामराजनगर	11.87004	77.18513

घ	बेदागुली	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.84424	77.16593
ड	चिकमुदाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.83265	77.06521
च	डोड्डामुदाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.80944	77.06563
छ	पुनजुर	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.77274	77.11083
ज	पुनजनुर राज्य वन	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.75284	77.07923
झ	होन्नेगौदानाहुन्दी	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.77145	77.03241

ग. पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	पारिस्थितिक संवेदी जोन की चौड़ाई	तालुक	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	बोरोमराहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	येलनदूर	चामराजनगर	11.81894	76.98093
2	हरादोमहल्ली जिला वन	संपूर्ण ग्राम सीमा	कोलेगल	चामराजनगर	11.84995	77.00051
3	अत्तुगुलिपुर	संपूर्ण ग्राम सीमा	कोलेगल	चामराजनगर	11.82934	76.9973
4	होन्गालयादी	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.85384	77.01633
5	कुम्बेशवरा कॉलोनी	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.86924	77.03023
6	अय्यानपुरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.89625	77.02351
7	मल्लेदेवानाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.90584	77.04713
8	हरादानाहल्ली जिला वन	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.89235	77.05622
9	होन्दरालु	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.92794	77.04423
10	जोतिगौदानापुर	1 किलोमीटर	चामराजनगर	चामराजनगर	11.93158	77.08271
11	मेलमाल	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.95414	77.06923
12	तिम्मेगौदानापलया	संपूर्ण ग्राम सीमा	चामराजनगर	चामराजनगर	11.97824	77.08713
13	येरागम्बल्ली	1 किलोमीटर	येलनदूर	चामराजनगर	12.01214	77.07373
14	गुम्बल्ली	1 किलोमीटर	येलनदूर	चामराजनगर	12.02827	77.08171
15	वदागेरे	संपूर्ण ग्राम सीमा	येलनदूर	चामराजनगर	12.04594	77.07213
16	गौदाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	येलनदूर	चामराजनगर	12.05344	77.07923

उपाबंध III पुनः

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित निकटस्थ वन क्षेत्रों और ग्रामों की सूची निम्न रूप से है
घ. अधिसूचित/वर्गीकृत वन क्षेत्र -51.53 वर्ग किलोमीटर या 5153.05 हेक्टेयर

क्र. सं.	जिला	आरक्षित/राज्य वनों के नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	क्षेत्र हेक्टेयर में	जी.ओ. सं./अधिसूचना सं. और दिनांक
1	चामराजनगर	बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर ब्लॉक-1	बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य चामराजनगर	1727.77	जी.ओ. सं. एल.एन.डी/पी.आर/210/93-94 दिनांक. 7-2-1994
2	चामराजनगर	थम्मानगुद्दा के. गुदी श्रेणी में	बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य चामराजनगर	216.00	अनुमोदित प्रबंधन योजना के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के लिए खंड -4 अधिसूचना 2008-09 से 2017-18
3	चामराजनगर	सी और डी भूमि	बिलिगिरिरिंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य चामराजनगर	2647.51	जी.ओ. सं. आर. डी. 06. एल. जी. पी. 88 बैंगलोर, दिनांक 07-06-1993.
4	चामराजनगर	मदुमलागुड्डा राजस्व वन	मेल महादेश्वरा वन्यजीव प्रभाग	561.77	जी.ओ. सं. ए. एच. एफ. एफ.-152 एफ. ए. एफ.-91 दिनांक 3-6-1991
			कुल	5153.05	

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

S.O. 2631(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, The Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary was declared as a Tiger Reserve with an extent of 574.82 square kilometer vide notification of the State Government of Karnataka No. FEE 1333 FWL 2008 dated 24.1.2011;

AND WHEREAS, the Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve is situated in Chamrajanagar District (Kollegal, Yelandur and Chamrajanagar talukas) of Karnataka State and lies between the North Latitudes 11°43' and 12°08' and between the East Longitudes 77°00' and 77°16';

AND WHEREAS, the Tiger Reserve harbours Tiger, Elephant, Guar, leopard, sambar, spotted deer, barking deer, four horned antelope, sloth bear, wild dogs, mouse deer etc.

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve and the Mysore Elephant Reserve declared by Project Elephant, Government of India;

AND WHEREAS, the entire protected area along with adjoining areas of Sathyamangala Division, Madumalai Protected Area, Kollegal Division, Cauvery Wildlife Division forms a unique patch of forests which acts as a bridge between Western Ghats and Eastern Ghats;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve has a variety of vegetation ranging from dry scrub jungle to evergreen forests and shrub savannas and high altitude grasslands;

AND WHEREAS, 28 species of Mammals, 274 species of birds, 14 species of amphibians, 23 species of reptiles, 1350 species of flora, 145 species of butterflies, more than 886 species of medicinal plants and around 25 species of orchids are reported from the Tiger Reserve;

AND WHEREAS, the vegetation comprises of *Anogeissus latifolia*, *Dalbergia paniculata*, *Baswellia serrata*, *Commiphora caudate* *Acacia chundra*, *Diospyros melanoxylon*, *Elaeocarpus tuberculatus*, *syzygium malabaricum*, *Schefflera capitata*, *Cucurma neilgherrensis* etc.;

AND WHEREAS, the Protected Area is an important catchment area for Gundal and Suvarnavathi rivers that are major tributaries of River Cauvery and it also acts as an important catchment area for Gowdahalli, Krishnaianakatte, KK dam and Bellattha reservoirs;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is also home to Soliga forest dwelling communities who live in small hamlets within the sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Biligiriranganswamy Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone ;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 6 kilometers from the boundary of Biligiriranganswamy Tiger Reserve in the State of Karnataka, as the Biligiriranganswamy Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent varying up to 6 kilometers from the boundary of Biligiriranganswamy Tiger Reserve except for the portion having interstate boundary with Tamil Nadu and the description of boundaries is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone includes 49 villages and is spread over an area of 467.92 square kilometers.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II**;

(2) The list of villages and other areas falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Tiger Conservation Plan shall also be taken into consideration during the preparation at the Zonal Master Plan.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(ix) State Pollution Control Board,

(x) Irrigation

(xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 17, 23, 32 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometre, then beyond one kilometre and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement the rules and regulations under the relevant Acts and made thereunder.

(12) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying, and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the

		Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	Commercial use of natural water resources including ground water harvesting for commercial mineral water plants, aerated drinks bottling plants etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for subsistence use in the Eco-sensitive Zone.
10	Installation of wind mills	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
11	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Regulated under applicable laws.
12.	Establishment of eco-friendly tourism hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometre of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometre, then beyond one kilometre and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
13.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometre of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.

		(d) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometre, then beyond one kilometre and upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Promote underground cabling. (b) Existing domestic lines – If over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (c) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11 KV has to be done underground. (d) For any transmission line more than 11 KV, the “sag” point between the two towers should be at least 15 meters from the ground.
16.	Electric fencing, compound for commercial hotels/ resorts and commercial agricultural and horticultural ventures by companies /corporate houses/firms	The fencing should be such that it does not affect the migration and movement of wildlife
17.	Widening and strengthening of existing roads	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Farming of exotic floral and faunal species such as cat fish, emu, Yorkshire pig, Japanese quail, ostrich, rabbit and other species	No farming of exotic faunal species is permitted.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

25.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
26.	Use of polythene bags	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
28.	Establishment of large scale livestock and poultry farms	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except initiatives on a small scale to the tune of one acre by local farmers.
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans and other cottage industries.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted
37.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- i) Regional Commissioner, Mysore – Chairman
- ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Chamrajnagar Constituency – Member
- iii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Kollegalla Constituency – Member

(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

- iv) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
- v) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;

- vi) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
- vii) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;
- viii) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
- ix) Member of the State Biodiversity Board - Member;
- x) Deputy Commissioner or his representative, Chamrajnagar District, – Member;
- xi) Administrative head Chamrajnagar Wildlife Division – Member Secretary.

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/19/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of the eco-sensitive zone

BOUNDARY DESCRIPTION

Boundary Description of the forest areas is as described in the Government Notifications of respective forests.

North: - The boundary line starts from a north eastern point on Madumalegudda Reserved Forest on Thimmarajapura village boundary of Kollegal taluk with GPS co-ordinates N 12°7'28", E 77°6'5" and then passes all along the northern part of Madumalegudda Revenue Forest until it reaches the northern tip of Madumalegudda Revenue Forest on Thimmarajapura village boundary. From this point the line runs eastwards along Thimmarajapura village boundary till it reaches the co-ordinate N 12° 7' 40", E 77° 7' 54". Then the line runs along the Thimmarajapura village boundary till it reaches the bi-junction point of Thimmarajapura and Hondarabalu villages. Then the line continues along the Western boundary of Hondarabalu village until it reaches the north-western tip of Hondarabalu village of Kollegal taluk.

Further, the line runs eastwards for some distance along Hondarabalu village till it reaches bi-junction point of Hondarabalu and Madhuvanahalli villages with co-ordinates N 12° 9' 1", E 77° 8' 10". Then the line continues in northern direction along Madhuvanahalli village of Kollegal taluk till it reaches a point on the Dodda Ranganachanakere channel and further the line runs eastwards along the Dodda Ranganachanakere channel through Madhuvanahalli gramathana and further runs eastwards along the said channel it reaches a point on the road leading to Kongarahalli village on Haravanapura village boundary. From this point the line descends downwards along Haravanapura village until it reaches bi-junction point of Haravanapura and Lakshmipuram villages of Kollegal taluk with co-ordinates N 12° 8' 52", E 77° 11' 18". Then the line continues and descends down along outer boundary of Lakshmipuram village till it reaches a bi-junction point on Lakshmipuram and Hona Berrabetta village of Kollegal taluk on a point Kollegal-Hasanur Road (SH-38).

East:- From the above point on Kollegal-Hasanur road (SH-38) the line descends down and runs along the Kollegal-Hasanur road through Hona Berrabetta village until it reaches a point with co-ordinate N 12° 6' 56", E 77° 12' 59" on the said road. Then the line runs in south-eastward direction along the same road through Hona Berrabetta and Chennalinganahalli villages of Kollegal taluk until it reaches a point with co-ordinates N 12° 4' 50", E 77° 14' 7" on the same road. Then the line runs south wards along the Kollegal-Hasanur road through Chikka Malapura and Siragodu villages of Kollegal taluk till it reaches a point with co-ordinates N 12° 2' 3", E 77° 14' 56" on the said road. From this point the line runs eastwards along the northern part of Lokkanahalli village of Kollegal taluk till it reaches a point with co-ordinates N 12° 2' 3", E 77° 16' 17" on common village boundary of Lokkanahalli and Siragodu villages. Then the line runs along common village boundary of Lokkanahalli and Siragodu villages till it touches a point on Hanur Reserved Forest (included in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary). Further the line runs along the common boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary and eastern part of Lokkanahalli village till it reaches the south-eastern tip of Lokkanahalli village with co-ordinates N 11° 59' 39", E 77° 16' 39". Then the line runs westwards along the southern boundary of Lokkanahalli village till the south-western tip of Lokkanahalli village and further runs northwards along common village boundary of Lokkanahalli and Hona Berrabetta villages, till it reaches the bi-junction point of the said villages. Then the line runs westwards along Hona Berrabetta village boundary and further descends down southwards on eastern part of the village boundary along Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary (Hanur Reserved Forest) till it reaches a point with co-ordinate N 11° 59' 38", E 77° 15' 17". Then the line runs southwards along the eastern boundary of Hona Berrabetta village and along Hanur Reserved Forest boundary till it reaches the tri-junction point of eastern tip of Hona Berrabetta village, Hanur Reserved Forest, Edayahalli Reserved Forest with co-ordinates N 11° 57' 11", E 77° 15' 50".

From this point the line further runs southwards along eastern boundary of Hona Berrabetta village, which happens to be Edayahalli Reserved Forest boundary [included in Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary] till it reaches a point on Kollegal-Hasanur road and further line runs along the said road, which happens to be common boundary of BRT Wildlife Sanctuary and Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary till it reaches north-western corner of Arabigere village of Kollegal taluk. Then the boundary line passes along the northern part of Arabigere and Parasegowdanapalya villages of Kollegal taluk through the co-ordinates N 11° 55' 17", E 77° 15' 42" and N 11° 55' 44", E 77° 17' 9" of respective villages on Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary boundary. Further, the line descends down along the eastern part of

Parasegowdanapalya, Huthur and Byalur villages of Kollegal taluk through the co-ordinates N 11° 54' 53", E 77° 17' 55", N 11° 52' 35", E 77° 17' 44", N 11° 50' 39", E 77° 16' 51" and N 11° 48' 43", E 75° 15' 15" on the western boundary of Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary.

South:- From the above point with co-ordinate N 11° 48' 43", E 75° 15' 15" the boundary runs westwards along the inter-state boundary of Karnataka and Tamilnadu, encompasses Punjur village of Kollegal taluk, Mukanapalya and Honnegaudanahundi villages of Chamarajanagar taluk and passes through co-ordinates N 11° 46' 30", E 77° 1' 47" and N 11° 46' 30", E 77° 3' 27" until it reaches a bi-junction point of Haradanahalli District Forest (village) and Bommanahalli villages of Chamarajanagar District.


The southern portion of the entire B.R.T. Wildlife Sanctuary forms interstate boundary between Karnataka & Tamilnadu States. Hence, the Tamilnadu Forests Department authority has been requested to maintain eco-sensitive zone as per the Ministry of Environment and Forest, New Delhi directions/ guidelines vide letter no. 1-9/2007 WL-(Pt) dated; 16-12-2013. Further, all enclosures within the Reserve Forest, BRT Extension Forest and Section 4 Notified areas forming B.R.T. Wildlife Sanctuary are included as eco-sensitive zone to maintain the ecological integrity of the Sanctuary/Reserve.

West:- From the above bi-junction point the line runs along the southern boundary of Bommanahalli village and further continues northwards along eastern boundary of Bommanahalli village till it reaches a point with co-ordinate N 11° 48' 57", E 76° 58' 49". Then the line runs along the eastern and northern part of Bommanahalli village until it reaches the northern tip of Bommanahalli village and the bi-junction point of Bommanahalli and Haradanahalli District Forest (village) boundary and further runs along the western part of Haradanahalli District Forest (village) boundary till it reaches the point with co-ordinate N 11° 52' 7", E 77° 0' 10". Then the line continues along the northern part of Haradanahalli District Forest (village) boundary till it reaches the bi-junction point of Haradanahalli and Kumbeshwara colony villages. From this point the boundary runs along the western boundary of Kumbeshwara colony of Chamarajanagar taluk till it reaches a point with co-ordinate N 11° 54' 15", E 77° 1' 31". Then the line proceeds along the northern part of Kumbeshwara colony and Malledevanahalli villages till it reaches the bi-junction point of Malledevanahalli and Hondarabalu villages of Chamarajanagar taluk, From this point the line passes northwards along eastern boundary of Hondarabalu village till it reaches the bi-junction point of Hondarabalu and Jyotigowdanapura at GPS co-ordinates N 11° 55' 29", E 77° 4' 51". Then the line runs one kilometer away from park boundary through the Jyotigowdanapura village towards north till it reaches bi-junction point of Jyotigowdanapura and Melmala at the GPS co-ordinates N 11° 56' 23", E 77° 5' 24. Then the line continues along the southern part of Melmala village, further the line passes along the north-western boundary of Melmala village of Chamarajanagar taluk till it reaches a point with co-ordinate N 11° 57' 56", E 77° 5' 22". From this point, the line passes northward direction along northern part and eastern part of Melmala and Thimmegowdanapalya villages till it reaches the bi-junction point of Thimmegowdanapalya of Chamarajanagar taluk and Yeragamballi of Yelandur taluk.

Then the line runs one kilometer away from the forest boundary and runs toward north till it reaches bi-junction point of Gumballi and Yeragamballi. Then again line runs one kilometer away from the forest boundary till it reaches bi-junction point of Gumballi and Yedagere of Yelandur taluk.

Then the line proceeds in westward direction along the north-western boundary of Gumballi village till it reaches the bi-junction point of Gumballi and Vadagere villages of Yelandur taluk. Then the line runs along western part of Vadagere village boundary until it reaches a point with co-ordinate N 12° 3' 1", E 77° 4' 17". Further the line passes along the northern part of Vadagere village till it reaches bi-junction point of Vadagere and Gowdahalli villages. Then the line continues in northward direction along Gowdahalli and Malarpalya villages till it reaches point with co-ordinates N 12° 3' 46", E 77° 4' 50". From this point the boundary line runs along the outer eastern boundary of Malarpalya, Devarahalli and Shivakahalli villages of Yelandur taluk, till it reaches the eastern most tip of Shivakahalli village with co-ordinate N 12° 5' 33", E 77° 4' 33". Then the line runs along eastern and northern part of Shivasahalli village till it reaches a tri-junction point of Shivakahalli of Yelandur Taluk and Arepalya and Surpura villages of Kollegal taluk. Then the line proceeds in northward direction along eastern boundary of surapura village of kollegal taluk and pass through co-ordinate N 12° 5' 30", E 77° 6' 0" to reach the south-western tip of Madumalegudda Revenue Forest of Thimmarajapura of Kollegal taluk. Then finally from this point, the boundary line runs in northward direction along eastern boundary of Madumalegudda Revenue Forest of Thimmarajapura village to the north-eastern point with co-ordinate N 12° 7' 28", E 77° 6' 5" (starting point).

Map of proposed Eco-Sensitive Zone:



KEY

KEY LOCATIONS OF BRT WILDLIFE SANCTUARY

Map Id	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
1	11.71979	77.11841	11 43' 11"	77 7 6"
2	11.75665	77.06972	11 45' 24"	77 4' 11"
3	11.75665	77.08934	11 46' 48"	77 5' 22"
4	11.78596	77.00607	11 47' 9"	77 2' 15"
5	11.81226	77.00607	11 48' 44"	77 0' 22"
6	11.86419	77.05044	11 51' 51"	77 3' 2"
7	11.89447	77.04447	11 53' 40"	77 2' 40"
8	11.91905	77.07271	11 55' 9"	77 4' 22"
9	11.93993	77.11083	11 56' 24"	77 6' 39"
10	11.96953	77.11228	11 58' 10"	77 6' 44"
11	12.01726	77.08233	12 1' 2"	77 4' 56"
12	12.04751	77.13186	12 2' 51"	77 5' 5"
13	12.06258	77.15816	12 3' 45"	77 9' 29"
14	12.08243	77.13457	12 4' 57"	77 8' 4"
15	12.09673	77.15697	12 5' 48"	77 9' 25"
16	12.11037	77.14354	12 6' 37"	77 8' 37"
17	12.1448	77.17162	12 8' 41"	77 10' 18"
18	12.12354	77.18723	12 7' 25"	77 11' 14"
19	12.04411	77.20016	12 2' 39"	77 12' 1"
20	12.09646	77.20509	12 5' 47"	77 12' 18"
21	12.07911	77.2295	12 4' 45"	77 13' 46"
22	12.02995	77.22421	12 1' 48"	77 13' 27"
23	12.02086	77.24211	12 1' 15"	77 14' 32"
24	11.96432	77.25135	11 57' 52"	77 15' 5"
25	11.90511	77.26179	11 54' 18"	77 15' 42"
26	11.90109	77.24007	11 54' 4"	77 14' 24"
27	11.8753	77.23028	11 52' 31"	77 13' 49"
28	11.82635	77.21855	11 49' 35"	77 13' 7"
29	11.85869	77.24501	11 51' 31"	77 14' 42"
30	11.8336	77.25185	11 50' 1"	77 15' 7"
31	11.79451	77.23034	11 47' 40"	77 13' 49"
32	11.78476	77.18337	11 47' 5"	77 11' 0"
33	11.77243	77.1129	11 46' 21"	77 6' 46"

KEY LOCATIONS OF BRT ESZ

Map Id	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
1	11.76857	77.05747	11° 46' 7"	77° 3' 27"
2	11.77487	77.02977	11° 46' 30"	77° 1' 47"
3	11.81597	76.98017	11° 48' 57"	76° 58' 49"
4	11.86867	77.00267	11° 52' 7"	77° 0' 10"
5	11.90407	77.02517	11° 54' 15"	77° 1' 31"
6	11.90587	77.05557	11° 54' 21"	77° 3' 20"
7	11.92717	77.04437	11° 55' 38"	77° 2' 40"
8	11.91905	77.07271	11° 55' 9"	77° 4' 22"
9	11.93993	77.11083	11° 56' 24"	77° 6' 39"
10	11.96953	77.11228	11° 58' 10"	77° 6' 44"
11	12.00146	77.08445	11° 46' 7"	77° 3' 27"
12	12.02777	77.07998	11° 46' 7"	77° 4' 48"
13	12.06267	77.08047	12° 3' 46"	77° 4' 50"
14	12.09257	77.07577	12° 5' 33"	77° 4' 33"
15	12.09157	77.10007	12° 5' 30"	77° 6' 0"
16	12.12767	77.13167	12° 7' 40"	77° 7' 54"
17	12.12767	77.13167	12° 7' 40"	77° 7' 54"
18	12.15017	77.13617	12° 9' 1"	77° 8' 10"
19	12.14787	77.18824	12° 8' 52"	77° 11' 18"
20	12.11557	77.21627	12° 6' 56"	77° 12' 59"
21	12.07797	77.23876	12° 4' 41"	77° 14' 20"
22	12.03407	77.24887	12° 2' 3"	77° 14' 56"
23	12.02817	77.27137	12° 1' 41"	77° 16' 17"
24	11.99407	77.27747	11° 59' 39"	77° 16' 39"
25	11.99387	77.25467	11° 59' 38"	77° 15' 17"
26	11.95317	77.26377	11° 57' 11"	77° 15' 50"
27	11.92127	77.26167	11° 55' 17"	77° 15' 42"
28	11.92897	77.28587	11° 55' 44"	77° 17' 42"
29	11.76857	77.05747	11° 54' 53"	77° 17' 55"
30	11.87647	77.29557	11° 52' 35"	77° 17' 44"
31	11.84427	77.28087	11° 50' 39"	77° 16' 51"
32	11.81197	77.25417	11° 48' 43"	77° 15' 15"

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

A. Biligirirangaswamy Temple Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone consists of the following forty eight villages and forest areas falling under Chamarajanagar, Yelandur and Kollegal Talukas of Chamarajanagar district. The total geographic area of eco-sensitive zone is 46792.84 Ha. Area of villages included in the eco-sensitive Zone is 41639.79 Ha and the area of notified forest in the Eco-Sensitive Zone is 5153.05 Ha.

Sl. No.	Name of the village	Taluk	Extent of village in ha
1	Biligiriranganabetta	Yelandur	9217
2	Emmehatti	Kollegal	57.11
3	Honnametti	Kollegal	569.24
4	Bedaguli	Chamarajanagar	215
5	Chikmudahalli	Kollegal	172.2
6	Doddamudhalli	Kollegal	529.69
7	Punjur	Kollegal	439
8	Mukanapalya	Chamarajanagar	48.0
9	Honnegaudanahundi	Chamarajanagar	148
10	Bommanahalli	Chamarajanagar	329
11	Haradanahalli District Forest II	Chamarajanagar	1539
12	Attagulipura	Chamarajanagar	279
13	Hongalavady	Chamarajanagar	36
14	Kumbeshwara Colony	Chamarajanagar	207
15	Ayyanpura	Chamarajanagar	360
16	Malledevanahalli	Chamarajanagar	318
17	Haradanahalli District Forest I	Chamarajanagar	261
18	Hondarabalu	Chamarajanagar	1439
19	Jyothigowdanapura	Chamarajanagar	1423
20	Melmala	Chamarajanagar	1089
21	Thimmegowdanapalya	Chamarajanagar	540
22	Yeragamballi	Yelandur	1420
23	Gumballi	Yelandur	361
24	Vadagere	Yelandur	348
25	Gowdahalli	Yelandur	1189
26	Alkereagrahara	Yelandur	434
27	Jodimellahalli	Yelandur	248
28	Malarpalya	Yelandur	294
29	K. Devarahalli	Yelandur	669
30	Shivakahalli	Yelandur	302
31	Arepalya	Kollegal	519
32	Surapura	Kollegal	958

33	Jakkalli	Kollegal	700
34	Thimmarajapura	Kollegal	410
35	Hondarabalu	Kollegal	721
36	Madhuvanahalli	Kollegal	669
37	Haravanapura	Kollegal	321
38	Lakshmipura	Kollegal	533
39	HonaBerrabetta	Kollegal	3723
40	Chennalinganahalli	Kollegal	467
41	Chikka Malapura	Kollegal	435
42	Siragodu	Kollegal	320
43	Lokkanahalli	Kollegal	971
44	Mavathur	Kollegal	963.548
45	Gundimala	Kollegal	404
46	Arabigere	Kollegal	2110
47	Parasegowdanapalya	Kollegal	1024
48	Huthur	Kollegal	914
49	Bylur	Kollegal	997

Annexure III. Contd.**B. List of enclosure villages within Eco-sensitive Zone.**

Map Id	Village name	Eco-sensitive Zone width	Taluk	District	Latitude	Longitude
A	Biligiri Ranganatha Temple	Entire village boundary	Yelandur	Chamarajanagara	11.99715	77.15801
B	Emmehatti	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	11.90095	77.19401
C	Honnametti	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	11.87004	77.18513
D	Bedguli	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.87004	77.18513
E	Chikmudahalli	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.84424	77.16593
F	Doddamudhalli	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.83265	77.06521
G	Punjur	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.77274	77.11083
H	Punajanur State Forest	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.75284	77.07923
I	Honnegaudanahundi	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.77145	77.03241

C. List of revenue villages within Eco-Sensitive Zone.

Map Id	Village name	Eco-sensitive Zone width	Taluk	District	Latitude	Longitude
1	Bommarahalli	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.81894	76.98093
2	Haradonahalli District Forest	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.84995	77.00051
3	Attugulipur	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.82934	76.99733
4	Hongalayady	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.85384	77.01633
5	Kumbeshwara Colony	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.86924	77.03023
6	Ayyanpur	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.89625	77.02351
7	Malledevanahalli	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.90584	77.04713
8	Haradanahalli Districitforest	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.89235	77.05622
9	Hondralu	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.92794	77.04423
10	Jyotigaudanapur	1 km	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.93158	77.08271
11	Melmal	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.95414	77.06923
12	Timmegoudanapalya	Entire village boundary	Chamarajanagara	Chamarajanagara	11.97824	77.08713
13	Yeragamballi	1 km	Yelandur	Chamarajanagara	12.01214	77.07373
14	Gumballi	1 km	Yelandur	Chamarajanagara	12.02827	77.08171
15	Vadagere	Entire village boundary	Yelandur	Chamarajanagara	12.04594	77.07213
16	Gaudahalli	Entire village boundary	Yelandur	Chamarajanagara	12.05344	77.07923
17	Alkereagrahara	Entire village boundary	Yelandur	Chamarajanagara	12.05824	77.09203
18	Jodimellahalli	Entire village boundary	Yelandur	Chamarajanagara	12.06204	77.08273
19	Malarpalya	Entire village boundary	Yelandur	Chamarajanagara	12.07015	77.08591
20	Devarahalli	Entire village boundary	Yelandur	Chamarajanagara	12.08044	77.07983
21	Shivakahalli	Entire village boundary	Yelandur	Chamarajanagara	12.09544	77.07853
22	Arepalya	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	12.08744	77.10273
23	Surupura	Western boundary of Madumaleguda	Kollegal	Chamarajanagara	12.10215	77.09881
24	Jakkallidoddi	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	12.11114	77.12153

25	Timmarajapura	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	12.12614	77.11773
26	Hondarabalu	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	12.14405	77.13111
27	Madhuvanahalli	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	12.15135	77.15521
28	Haruvanapuram	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	12.14935	77.18139
29	Lakshmipuram	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	12.13955	77.19661
30	HonaBerrabetta	Village till Kollegal-Hasnur Ghat road	Kollegal	Chamarajanagara	11.87384	77.26223
31	Chennalinganahalli	Village till Kollegal-Hasnur Ghat road	Kollegal	Chamarajanagara	12.08615	77.23281
32	ChikkaMalapura	Village till Kollegal-Hasnur Ghat road	Kollegal	Chamarajanagara	12.05704	77.23833
33	Siragodu	Village till Kollegal-Hasnur Ghat road	Kollegal	Chamarajanagara	12.03854	77.24313
34	Lakkanahalli	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	12.01355	77.27081
35	Mavattur	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	11.89194	77.25023
36	Gundimalam	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	11.83914	77.23263
37	Arabikere	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	11.90324	77.28143
38	Parasegaundanapalya	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	11.90824	77.29883
39	Utturu	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	11.85584	77.28233
40	Bailur	Entire village boundary	Kollegal	Chamarajanagara	11.82134	77.25953

The list of the adjoining forest areas and villages that are to be included in the Eco-Sensitive Zone are as follows

D. NOTIFIED/CLASSIFIED FOREST AREAS-51.53sq. km or 5153.05 ha

Sl. No.	District	Name of the Reserved/State Forest	Administrative Control	Area in Ha.	GO No./ Notification No. & date
1	Chamarajanagar	BRT Block-1	BRT Wildlife Sanctuary. Chamarajanagar	1727.77	GO No. LND/PR/210/93-94 DTD. 7-2-1994.
2	Chamarajanagar	Thammanagudda in K.Gudi Range	BRT Wildlife Sanctuary.	216	Area proposed for Section-4 notificatinas as per approved

			Chamarajanagar		management plan 2008-09 to 2017-18
3	Chamarajanagar	C and D land	BRT Wildilife Sanctuary. Chamarajanagar	2647.51	G.O.No. RD.06.LGP 88 Banagalore, Dated 07.06.1993
4	Chamarajanagar	Madumalegudda Revenue Forest	Male Mahadeswara Wildlife Division	561.77	G.O. No. AHFF-152 FAF-91 Dated 3-6- 1991
			Total	5153.05	

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.